

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2016-पौष 11, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, भविशा छाबरिया सभी को सूचित करती हूँ कि शादी पूर्व मेरा नाम कान्ता मूलचन्दनी था. जिसे शादी के बाद बदलकर हमने कान्ता मूलचन्दनी से भविशा छाबरिया कर लिया है।

अतः अब से मुझे मेरे, मेरे पति एवं मेरे बच्चों के समस्त सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में भविशा छाबरिया नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(कान्ता मूलचन्दनी)

(517-बी.)

नया नाम :

(भविशा छाबरिया)

पति-मनोज छाबरिया,
2, साकेत मनीषपुरी, एक्सटेंशन, इंदौर (म.प्र.).

AMMENDED NAME

I, Nb Sub Dharampal changed my son named JATIN KUMAR S/o Nb Sub Dharampal

Ammended name—JATIN SINGH CHAUHAN S/o Nb Sub Dharampal.

(NB SUB DHARAMPAL)

236/6, Malcom Line,
Mhow (MP) Dist. Indore
Pin 453441.

(526-B.)

CHANGE OF NAME

I, Kiron Kumar N Thacker hereby declare that I have change my name as Kiran Kumar Thacker, So, from now and in future I will be known by my new name kirin Kumar Thacker.

Old Name :

(KIRON KUMAR N THACKER)

(497-B.)

New Name :

(KIRAN KUMAR THACKER)

S/o Naranji M Thacker

Address—202, Shekhar Grand Appartments,
15, Sitabagh Colony, Behind Regal Cinema
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार पूर्व नाम राजेश कुमार मोकाती (RAJESH KUMAR MOKATI) पिता श्री रामनिवास नाम से जाना-पहचाना जाता था जो कि दिनांक 28-07-2015 से मेरा पक्षकार राजेश मुकाती (RAJESH MUKATI) पिता श्री रामनिवास, निवासी-पाँकर ग्रिड, कापौरेशन ऑफ इंडिया लि. पोस्ट-बॉक्स नम्बर 2,765/400 के. वी. सबस्टेशन, ब्लॉक बी-2, खिमलासा रोड बीना, जिला सागर 470113 नाम से जाना व पहचाना जाता है।

संजीव जैन,

(एडवोकेट)

शास्त्री वार्ड बीना।

(518-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मैसर्स ऐ. बी. एस. फूड्स (विदोर्प रेस्टॉरेंट) कि भागीदारी श्री ऋषि अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल, श्री मनीष भगवानी पिता मोहनलाल भगवानी और श्री शैलेश अग्रवाल पिता सुरेशचंद अग्रवाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की छोड़ चुके हैं एवं उनकी जगह श्री आनंद गुप्ता पिता श्री दिनेशचन्द गुप्ता, श्री सौरभ यादव पिता श्री मदन सिंह यादव और जगदीश माखीजा नए भागीदार बन चुके हैं श्री अंकित सिंघल पिता महेश कुमार सिंघल यथावत हैं। अतः किसी भी भागीदार/आमजन को कोई भी आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर पते पर 10 दिन के अंदर लिखित में दर्ज करायें। उपरोक्त फर्म किसी भी प्रकार की लेनदारी/देनदारी या सरकारी कोर्ट केस, अन्य केस इत्यादि की जबाबदारी पुराने भागीदारों की नहीं रहेगी।

ऐ. बी. एस. फूड्स

JAGDISH MAKHIJA,

पता-1001, रुफ टॉप शेखर सेन्ट्रल,

पलासिया स्क्वायर, इन्दौर 452001 (म.प्र.).

(519-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. बालाजी कम्प्यूटर स्टेशनरी वर्क्स, सुमेर वाटिका, भिण्ड रोड, गोले का मंदिर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00208/10, दिनांकित 23-12-2010 है। जिसमें भागीदार श्री यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सुशील कुमार पुत्र श्री रघुराज सिंह एवं श्री राजा विक्रम सिंह गौर पुत्र श्री रघुवीर सिंह गौर समस्त निवासी सुमेर सिंह का बाड़ा, गर्ल्स स्कूल के पास, किला रोड, ग्वालियर थे। दिनांक 23-02-2013 को श्री राजा विक्रम सिंह गौर पुत्र श्री रघुवीर सिंह गौर निवासी सुमेर सिंह का बाड़ा, गर्ल्स स्कूल के पास, किला रोड, ग्वालियर रिटायर्ड हुये। दिनांक 01-02-2014 को श्रीमति श्रृंखला तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र तोमर, निवासी-एच 41, एम ब्लॉक, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) एडमिट हुई। दिनांक 14-09-2014 को श्री राहुल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी-सुमेर सिंह का बाड़ा, गर्ल्स स्कूल के पास, किला रोड, ग्वालियर एडमिट हुये एवं श्रृंखला तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र तोमर, निवासी-एच 41, एम ब्लॉक, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) रिटायर्ड हुई। दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को राजीव शुक्ला पुत्र स्व. श्री राधाकृष्ण शुक्ला एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र श्री अरूप प्रताम सिंह, निवासीगण ए/2, न्यू प्रेम नगर, किला रोड, ग्वालियर एडमिट हुये एवं श्री राहुल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह सुमेर सिंह का बाड़ा, गर्ल्स स्कूल के पास, किला रोड रिटायर्ड हुये। अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. बालाजी कम्प्यूटर स्टेशनरी वर्क्स के भागीदार श्री यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सुशील कुमार पुत्र श्री रघुराज सिंह, निवासीगण सुमेर सिंह का बाड़ा, गर्ल्स स्कूल के पास, किला रोड, ग्वालियर, राजीव शुक्ला पुत्र स्व. श्री राधाकृष्ण शुक्ला एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र श्री अरूप प्रताम सिंह, निवासीगण ए/2, न्यू प्रेम नगर, किला रोड, ग्वालियर हैं। अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज कराये।

मै. बालाजी कम्प्यूटर स्टेशनरी वर्क्स,

राजीव शुक्ला।

(520-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भवानी प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रैक्टर स्थित बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 2463, दिनांक 06-02-1976 है। जिसमें दिनांक 01-04-2014 से श्रीमती जागेश मुदगल पति श्री किशन मुदगल, निवासी बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर एवं श्रीमती अनिता मुदगल पति श्री जीतेन्द्र मुदगल, निवासी बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 01-04-2014 से श्री किशन मुदगल पुत्र स्व. श्री भवानी प्रसाद मुदगल,

निवासी बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर एवं जीतेन्द्र मुदगल पुत्र स्व. श्री भवानी प्रसाद मुदगल, निवासी बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं, एर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

सुरेश मुदगल,
भवानी प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रेक्टर,
बावन पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(521-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीकृष्ण ऑयल मिल्स स्थित ए. बी. रोड, कैलारस, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर. जी./फर्म/64, दिनांक 12-02-1998 है। उक्त फर्म में दिनांक 22-10-2015 को श्री कहैयालाल पुत्र स्व. श्री हरिवल्लभ का स्वार्गावास हो जाने से फर्म से स्वतः पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 23-10-2015 को नवीन भागीदार श्री रुचिन बिन्दल पुत्र श्री उमेश चन्द्र बिन्दल, निवासी-ए. बी. रोड, कैलारस, जिला शिवपुरी फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म मैसर्स श्रीकृष्ण ऑयल मिल्स,
घनश्याम दास,
(भागीदार)
ए. बी. रोड, कैलारस, जिला शिवपुरी.

(522-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शुक्ला इन्टरप्राइजेज स्थित शॉप नं. 14-15, ओल्ड बस स्टेण्ड, एम. एस. रोड, कैलारस, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/06/0310/15, दिनांक 24 फरवरी, 2015 में पंजीकृत हैं। जिसमें दिनांक 15-12-2015 को (1) श्री विष्णु बंसल पुत्र श्री भगवती प्रसाद बंसल, आयु 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 09, गली नं. 2, दीनदयाल मार्ग कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) (2) अजीज खॉन पुत्र श्री बुद्धा खॉन, निवासी इस्लामपुरा, मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 15-12-2015 को (1) श्रीमती वसुधा भदौरिया पत्नि श्री दीपकरण सिंह भदौरिया, निवासी उदी ईटवा, जिला जालौन उ.प्र. (2) श्री गिराज शर्मा पुत्र श्री बच्चाराम शर्मा, निवासी टम्पो स्टेण्ड के सामने, ए. बी. रोड, बामौर, जिला मुरैना, (3) श्री कुलभूषण जैन पुत्र श्री एन. के. जैन, निवासी सदर बाजार, मुरैना (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मैसर्स शुक्ला इन्टरप्राइजेज

संदीप शुक्ला,
(भागीदारी)

पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास,
एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना.

(523-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कैलारस स्थित पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक आर. जी./फर्म/60, दिनांक 22-11-2004 में पंजीकृत हैं। जिसमें दिनांक 15-12-2015 को (1) श्री बैजनाथ शुक्ला पुत्र श्री जीवनलाल शुक्ला, निवासी-75, पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) (2) श्री पवन कुमार शुक्ला पुत्र श्री बनवारी लाल शुक्ला, निवासी-75, पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 15-12-2015 से (1) सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निवासी जीवांग, मुरैना म.प्र. (2) श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निवासी-जीवांग, मुरैना (3) अंकित शुक्ला पुत्र श्री बैजनाथ शुक्ला, निवासी-75, पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास एम. एस. रोड कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मैसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कैलारस,

गगन शुक्ला,

(भागीदारी)

पी. डब्ल्यू. डी. डॉक बंगला के पास,
एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना.

(524-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), रतलाम

क्र.2/बी-113/2015-5.

रतलाम, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र. 02/आर-3/15.—आवेदक श्री शान्तिलाल पिता डाउमचन्द्र जी चत्तर-अध्यक्ष, 90, तेजा नगर ब्लाक नं. 2, गली नं. 04, रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “जैन तपोवन पारमार्थिक न्यास” रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को की जावेगी।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम : “श्री जैन तपोवन पारमार्थिक न्यास” रतलाम मध्यप्रदेश

अचल सम्पत्ति : निरंक।

चल सम्पत्ति : 77,000/- (स्टैट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर) में जमा।

सूचील झा,
रजिस्ट्रार।

(659)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

(संशोधित)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री हजरत नफीस मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट, पता-76, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री हयात उल्ला पिता हजरत नफीस अहमद, निवासी-75, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु दिनांक 28 मई, 2014 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका गजट नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई, 2014 में पृष्ठ क्रमांक 1961 में हजरत नफीज मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट के नाम से प्रकाशित हुई है। आवेदक द्वारा आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18 जुलाई, 2014 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें त्रुटिवश हजरत नफीज मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट प्रकाशित हुआ है। जबकि वास्तविक नाम हजरत नफीस मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट है। जिसे प्रकाशित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हजरत नफीस मिया नकशबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-75, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निर्मंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(660)

बरद मूर्ति मिश्रा,

राजस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर, जिला धार

प्र.क्र.01/बी-113/2015-16.

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम-5 (1)]

क्र./3753/री-1/2015. एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल पिता मांगीलाल नाहर एवं संजयकुमार पिता भेरुलाल मण्डलेचा, निवासीयान बिडवाल, तहसील बदनावर, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4(1) के तहत ग्राम बिडवाल, तहसील बदनावर स्थित श्री गौतम लब्धि श्वेताम्बर मूर्तिपुजक तपागच्छ जैन संघ ट्रस्ट, बिडवाल (अल्पसंख्यक समुदाय) द्वारा समाज जन के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक परमार्थिक कार्यक्रम संचालित करना, धार्मिक पाठशाला का संचालन करना समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के अध्ययन, अध्यापन कार्य में मदद करना, स्वास्थ्य में अस्पताल खोलना बीमारों की देखभाल सेवा करना जीवदया के क्षेत्र में निरही पशु-पक्षियों के दाना-पानी की व्यवस्था करना, गौशाला संचालन करना, पक्षी स्वास्थ्य केन्द्र खोलना उनको दाना डलवाना आदि समस्त प्रकार के कार्यों की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु ट्रस्ट का गठन किये जाने हेतु सदस्यों की सूची अनुसार तीन वर्ष हेतु ट्रस्ट का गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यास के नाम चल-अचल सम्पत्ति का व्योरा प्रस्तुत किया गया:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री जवाहरलाल पिता मांगीलाल नाहर, निवासी बिडवाल | अध्यक्ष |
| 2. श्री संजयकुमार पिता भेरुलाल मण्डलेचा, निवासी बिडवाल | कोषाध्यक्ष |
| 3. श्री मनीषकुमार पिता चांदमल नाहर, निवासी बिडवाल | सचिव |
| 4. श्री कमलकुमार पिता नाथूलाल नाहर, निवासी बिडवाल | सदस्य |
| 5. श्री पारसकुमार पिता गेन्दालाल सेठिया, निवासी बिडवाल | सदस्य |

उपरोक्त ट्रस्टी सदस्यों द्वारा आय-व्यय का लेखा जोखा आदि कार्यों का संचालन किये जाने हेतु लोक न्यास का गठन प्रस्तावित किया गया।
मंदिर की सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

श्री गौतम लब्धि श्वेताम्बर मूर्तिपुजक तपागच्छ जैन संघ ट्रस्ट बिडवाल, जिला धार

न्यास का पता : ग्राम बिडवाल

न्यास की चल-अचल सम्पत्ति—

ट्रस्ट का बैंक एकाउन्ट नम्बर 34235962334

स्टेटमेन्ट की प्रति जिसमें रुपये 1143933/- जमा.

मंदिर में प्रतिमा के जेवरात की लिस्ट—

1. भगवान मूल नायक की अंगी (पाखर 2, कुडल 2, मुकुट) सहित। चांदी का कुल वजन 7 किलो 622 ग्राम। भगवान के फण की अंगी का कुल वजन:- 1 किलो 200 ग्राम।
3. आदिनाथ भगवान की अंगी 1 नग, पाखर 2 नग, मुकुट 1 नग, कुण्डल 2 नग।
4. महाबीर भगवान की अंगी 1 नग, पाखर 2 नग, मुकुट 1 नग, कुण्डल 2 नग।
5. सुपाश्वर्णाथ बड़ा भगवान की अंगी 1 नग, मुकुट 1 नग, कुण्डल 2 नग।
6. सुपाश्वर्णाथ छोटा भगवान की अंगी 1 नग, मुकुट 1 नग, कुण्डल 2 नग।
7. अंगी+पाखर+कान का कुण्डल+मुकुट चांदी के सभी का कुल वजन 7 किलो 100 ग्राम।
8. भगवान व नाकोड़ाजी के छत्र 4 नग चांदी के वजन 0/852 ग्राम।
9. भगवान के 5 नारियल चांदी के कुल वजन:- 0/223।
10. कुल चांदी का वजन :- 19 किलो 997 ग्राम भगवान के पूजा की झँडिया एवं खेरची चांदी सामान कुल 20 किलो 970 ग्राम।
11. भगवान के हार 6 नग, चैन 2 नग आर्टीफिशियल वजन 0/392।
12. स्पना जी 14 नग, पालना जी 1 नग (आर्टीफिशियल)।
13. तांबा का सिद्ध चक्र यंत्र 1 नग।
14. भगवान के सोने की चैन 0/05 ग्राम।

मन्दिर में अलमारी तिहोरी बड़े वर्तन व अन्य सामान की लिस्ट—

1. लोहे की तिजोरी 1 नग.
2. लोहे की अलमारी 2 नग.
3. लकड़ी की अलमारी 1 नग.
4. तीरगड़ा 3 नग.
5. पाट, चावल चड़ाने की 3 नग.
6. तगत लकड़ी का 2 नग.
7. टेबल लकड़ी का 2 नग.
8. चवर 3 नग (चांदी के मुठिये के)
9. स्नान पूजा घड़ा 1 व थाली 1 कुल 2 नग चांदी के वजन 1 किलो 415 ग्राम।
10. तांबा कोठी 1+ तांबा परात 1+ तांबा पक्षाल पात्र 2 नग।
11. तांबा की 108 दिपक की आरती।
12. पूजा की पुस्तकें भगवान की चंदरवे पुट्टया 5 नग।
13. अन्य छोटे-मोटे सामान दिपक+कण्डील दिपक+अन्य धुप दिप।
14. दरी+कम्बल करीब 7 नग।
15. हारमुनियम 1, ढोलक नग
16. सम्पेत शिखर पट 1 नग।
17. पितल कोठी 1, पितल बाल्टी 1, घंटी पितल 1 आर्टीफिशियल पाटला 1 नग।
18. अन्य छोटे वर्तन स्टील के बाल्टी+थाली+अन्य

विजय चिंतामणी पाश्वर्नाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर बिडवाल मन्दिर में चल प्रतिमा का विवरण—

1. सुमतीनाथ भगवान की प्रतिमा (अष्ट धातु की).
2. सिद्धचक्र गदा जी की प्रतिमा 2 नग (अष्ट धातु की).
3. सिद्धचक्र+चौबीस तीर्थकर पाटलाजी 1 नग (अष्ट धातु की).
4. छोटा सुपाश्वर्नाथ प्रतिमा 1 नग (अष्ट धातु की).

उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सप्रमाण मेरे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 08 जनवरी, 2016 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय एवं हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई।

एकता जायसवाल,

(661)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास, मझगांव, जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगांव, जिला सतना के समक्ष आवेदक डॉ. बी. के. जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री सदगुरु चेरीटेबल ट्रस्ट, जानकीकुण्ड चित्रकूट ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 06 जनवरी, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अधिकारी के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | श्री सदगुरु चेरीटेबल ट्रस्ट, जानकीकुण्ड चित्रकूट। |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक। |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 10,000/- दस हजार रुपये मात्र। |

प्रारूप क्र.-5

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगांव, जिला सतना के समक्ष।

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, दीपक कुमार वैद्य, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मझगांव एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना, लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 जनवरी, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 01 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

दीपक कुमार वैद्य,

(668)

अनुबिभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/03.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1181, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गई संस्था का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर, जिला सतना	791/01-05-2013	1181/26-10-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/संस्था के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजीव कुमार श्रीवास्तव,

(663)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बेतवा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील व जिला विदिशा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था अकार्यशील है।

संस्था की उक्त अंकेक्षण टीपों से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्भित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/716, विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बेतवा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., विदिशा तहसील व जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./249, दिनांक 02 मार्च, 1983 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(664)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., पठारी हवेली, तहसील विदिशा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था अकार्यशील है।

संस्था की उक्त अंकेक्षण टीपों से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/715, विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015 जारी किया गया। कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., पठारी हवेली, तहसील विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./724, दिनांक 15 मार्च, 2007 परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(664-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी समिति मर्या., विदिशा तहसील व जिला विदिशा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था अकार्यशील है।

संस्था की उक्त अंकेक्षण टीप से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2*(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3.) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/714, विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015 जारी किया गया। कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी समिति मर्या., विदिशा तहसील व जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./346, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(664-B)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक।

कार्यालय संयुक्त, आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

अर्चना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी. 71, दिनांक 07 मार्च, 1975 है, को उप-आयुक्त सहकारिता, जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2727, दिनांक 18 जुलाई, 2011 से श्री बी. पी. पाटिल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री पाटिल के स्थानान्तरण हो जाने पर श्री बी. पी. पाटिल, जिला भोपाल निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा पत्र क्रमांक 4923, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया गया है। परिसमापक श्री बी. एल. छाबडा को समक्ष में दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को सुना भी गया है उनके अनुसार:-

1. संस्था के सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से प्राप्त भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं लीज निष्पादन में उक्त संस्था आवश्यक पक्षकार है। यह लीज अवधी समाप्त हो चुकी है तथा लीज का नवीनीकरण होकर नवीन लीज डीड का निष्पादन पात्र सदस्यों के पक्ष में कराया जाना है। यह केवल यांत्रिक कार्य न होकर निष्पादन से पूर्व सदस्यों की पात्रता एवं प्रथम 30 वर्ष हेतु निष्पादित लीज डीड की शर्तों के पालन की स्थिति को भी नवीनीकरण से पूर्व ध्यान में रखना होगा। अतः संस्था का इस कार्य हेतु अस्तित्व में रहना आवश्यक है।
2. मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी लाये गये हैं कि संस्था के विरुद्ध कतिपय मामलों में जांच प्रक्रियाधीन है।
3. संस्था की कॉलोनी का रख रखाव, लीज रेट की वसूली एवं वैधानिक कार्यों हेतु तथा अनियमितता की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही हेतु भी संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक होगा।
4. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के तहत संस्था का परिसमापन पूर्ण होकर पंजीयन निरस्ती की दशा में 02 वर्ष की अवधि पश्चात् रिकार्ड नष्ट किया जा सकता है। इस कारण से भी रिकार्ड को सुरक्षित रखने हेतु संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है।

अतः मेरे समक्ष परिसमापक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों जो कि मुझे प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के माध्यम से तथा समक्ष में सुनवाई उपरांत प्रकट हुये हैं से मेरा यह समाधान हो गया है कि सदस्यों के व्यापक हित में उक्त संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (4) के तहत उपरोक्त परिसमापन आदेश को आज दिनांक से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2013 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित है का उपयोग करते हुये अर्चना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी. 71, दिनांक 07 मार्च, 1975 के सम्बन्ध में कार्यालय, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला भोपाल के आदेश क्रमांक परिसमापन 2727, दिनांक 18 जुलाई, 2011 को निरस्त करता हूँ तदनुसार संस्था परिसमापन से बहाल होकर एवं आगामी आदेश अथवा छः माह की अवधी पूर्ण जो भी पहले हो तक अधिनियम की धारा-53 (12) के तहत श्री आर. के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया, जो कि तत्काल प्रभावशील होगा।

आर. के. शर्मा,

(665)

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा सम्मति साख सहकारिता संस्था मर्या., बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 61, दिनांक 17 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,

(666)

उप-पंजीयक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2016-पौष 11, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर, कराहल (श्योपुर), लहार, मिहोना, रौन (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), दतिया (दतिया), पोहरी (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गुन्नौर (पन्ना), गढ़कोटा, खुरई (सागर), मझगांव, उचेहरा, अमरपाटन (सतना), गुढ़ (रीवा), चुरहट (सीधी), जावद, मनासा (नीमच), जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, राणापुर (झाबुआ), बदनावर, कुक्षी, गंधवानी, डही (धार), रायसेन (रायसेन), रीठी (कटनी), पांडुर्ना, चांद, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, कैलारस (मुरैना), मेहगांव (भिण्ड), सेवढ़ा (दतिया), कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), पन्ना (पन्ना), रघुराजनगर, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), सिरमोर, हनुमना, हुजूर (रीवा), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), बाजना (रतलाम), महिंदपुर (उज्जैन), सरदारपुर, धार (धार), बेगमगंज, गौहरांज (रायसेन), बावई (होशंगाबाद), मझोली (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील भाण्डेर (दतिया) शिवपुरी, पिढोर, नरवर (शिवपुरी), अशोकनगर, चन्द्री (अशोकनगर), राधोगढ़, बमोरी, चाचोड़ा (गुना), वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), सागर (सागर), नागौद (सतना), मऊगंज, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), घटिया, उज्जैन (उज्जैन), खिलचीपुर, सारंगपुर (राजगढ़), गैरतगंज (रायसेन), होशंगाबाद (होशंगाबाद), विजयराधोगढ़, बहोरीबंद, बरही (कटनी), जुनारदेव, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादैन, धनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील खनियाधाना, कोलारस, बद्रवास (शिवपुरी), गुना, आरोन (गुना), पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, बंडा, रहली, देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), रामपुरघेलान, रामनगर (सतना), त्योंथर (रीवा), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), तराना (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), मनावर (धार), जीरापुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़, व्यावरा (राजगढ़), वरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा,

पाटन, जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), कटनी, बड़वारा, ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, विछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), तामिया, सोंसर, चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी बरघाट, घन्सौर (सिवनी), लांजी, बेहर, वारासिवनी, करंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई।— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, रीवा, उमरिया, सीधी, मंदसौर, राजगढ़, जबलपुर व सिवनी में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी।— जिला श्योपुर, पन्ना, रीवा, मंदसौर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति।—

5. कटाई।—

6. सिंचाई।— जिला ग्वालियर, दतिया, दीकमगढ़, सांगर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, देवास, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति।— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा।— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज।— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहार श्रमिक।— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहार श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम, (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिंगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	11.0 .. 18.4 25.0	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन 26.0 5.0 14.0	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गना.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	1.0 16.2	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	34.0 4.0 46.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	47.0 41.0 69.0 35.0 .. 68.0 12.0 83.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड्ड कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	15.0				
2. इसागढ़	13.0				
3. अशोकनगर	41.0				
4. चन्द्रेरी	37.0				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड्ड. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	85.9				
2. राधोगढ़	48.0				
3. बमोरी	52.0				
4. आरोन	85.3				
5. चाचौड़ी	37.0				
6. कुम्भराज	27.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, उर्दा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, बिगड़ी हुई. ज्वार, मक्का, तिली, गन्ना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथुवीपुर	16.0				
3. जतारा	11.0				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	35.0				
6. पलेरा	24.0				
7. ओरछा	1.0				
*जिला छतरपुरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) (2)	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. लोणडी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू हैं..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूंग, सोयाबीन तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	41.6				
2. पन्ना	33.0				
3. गुन्नौर	12.0				
4. पवई	100.0				
5. शाहनगर	71.7				
जिला सागरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड्ड, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	57.0				
2. खुरई	14.3				
3. बण्डा	111.4				
4. सागर	35.2				
5. रेहली	100.0				
6. देवरी	62.0				
7. गढ़ाकोटा	10.6				
8. राहतगढ़	91.2				
9. केसली	54.0				
10. मालथोन	86.8				
11. शाहगढ़	75.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, मक्का, धान, तिल. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जब्रेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, तिल, धान अधिक. तुअर, उड़द समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	24.2				
2. मझगांव	15.0				
3. रामपुर-बघेलान	55.0				
4. नागौद	49.0				
5. उचेहरा	15.0				
6. अमरपाटन	15.0				
7. रामनगर	89.0				
8. मैहर	32.0				
9. बिरसिंहपुर	21.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, चना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	68.0				
2. सिरमौर	20.4				
3. मऊगंज	46.8				
4. हनुमना	32.8				
5. हुजूर	23.1				
6. गुढ़	8.3				
7. रायपुरकर्चुलियान	36.0				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) तुअर, कोदों-कुटकी धान बिगड़ी हुई.. मक्का, सोयाबीन, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	86.8				
2. अनूपपुर	44.9				
3. कोतमा	35.6				
4. पुष्पराजगढ़	43.5				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तिल, बाजरा अधिक. धान, ज्वार कोदों-कुटकी, उड़द, तुअर कम. मूंग, मूंगफली समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	81.6				
2. पाली	141.0				
3. मानपुर	54.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) तिल, कम. धान, तुअर, उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का समान। (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. ... 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास	25.2				
2. सिंहावल	25.2				
3. मझौली	28.2				
4. कुसमी	21.0				
5. चुरहट	6.5				
6. रामपुरनैकिन	19.1				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का अधिक. धान कम. तुअर, ज्वार, कोदों उड़द, मूँग, तिल समान। (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. ... 8. पर्याप्त।
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. ... 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम। (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्थड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कथामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम। उड़द समान। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावद	1.2				
2. नीमच	..				
3. मनासा	1.2				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. आलोट	1. जावरा	5.0			
3. सैलाना	17.0				
4. बाजना	15.0				
5. पिपलौदा	30.0				
6. रतलाम	2.0				
7.4					
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) सोयाबीन, मक्का। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. खांचरौद	5.0				
2. महिदपुर	18.0				
3. तराना	65.0				
4. घटिया	35.0				
5. उज्जैन	50.0				
6. बड़नगर	7.0				
7. नागदा	9.0				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार。 (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. ... 8. पर्याप्त।
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	5.0				
3. शुजालपुर	40.0				
4. कालापीपल	41.0				
5. गुलाना	57.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	3.	4.	5.
1. सोनकछ	..	2.	3. कोई घटना नहीं।	5. अपर्याप्त।	7. पर्याप्त।
2. टोंकखुर्द	..	2.	4. (1) गन्ना अधिक, कपास, तिल, मूँगफली, कम।	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
3. देवास	..	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
4. बागली	..	2.			
5. कन्नौद	..	2.			
6. खातेगांव	..	2.			
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं।	5. पर्याप्त।	7. ..
1. थांदला	8.6	2.	4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक, उड्ड, मूँगफली, धान कम, कपास, समान।	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
2. मेघनगर	2.0	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
3. पेटलावद	3.0	2.			
4. झाबुआ	..	2.			
5. राणापुर	2.0	2.			
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त।	7. पर्याप्त।
1. जोट	..	2.	4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा उड्ड, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक।	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
2. अलीराजपुर	..	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
3. कटटीवाड़ा	..	2.			
4. सोण्डवा	..	2.			
5. भामरा	..	2.			
जिला धार :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं।	5. पर्याप्त।	7. ..
1. बदनावर	6.0	2.	4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का कम।	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
2. सरदारपुर	29.0	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
3. धार	20.8	2.			
4. कुक्षी	12.6	2.			
5. मनावर	76.0	2.			
6. धरमपुरी	..	2.			
7. गंधवानी	11.0	2.			
8. डही	9.0	2.			
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं।	5. पर्याप्त।	7. पर्याप्त।
1. देपालपुर	..	2.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
2. सांवेर	..	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
3. इन्दौर	..	2.			
4. महू	..	2.			
(डॉ. अब्देकल्पना)		2.			
जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त।	7. पर्याप्त।
1. बड़वाह	..	2.	4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक, ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम।	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त।
2. महेश्वर	..	2.	(2) ..	चारा पर्याप्त।	
3. सेगांव	..	2.			
4. खरगोन	..	2.			
5. गोगावां	..	2.			
6. कसरावद	..	2.			
7. भगवानपुरा	..	2.			
8. भीकनगांव	..	2.			
9. झिरन्या	..	2.			

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. 6.	7. 8.
1. बड़वानी
2. ठीकरी
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा		
2. पंथाना		
3. हरसूद		
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर		
2. खकनार		
3. नेपानगर		
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	102.5		..		
2. खिलचीपुर	40.4		..		
3. राजगढ़	108.4				
4. ब्यावरा	157.8				
5. सारंगपुर	42.0				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	93.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी		
2. सिरोंज		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, तुअर, धान, ज्वार, मूँगफली. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया		
2. हुजूर		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर		
2. आषा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	11.0	..	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन गन्ना. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	52.6				
3. बेगमगंज	23.0				
4. गौहरगंज	31.0				
5. बरेली	115.8				
6. सिलवानी	58.0				
7. बाड़ी	102.5				
8. उदयपुरा	136.0				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.	3.	5. ..	7. ..
1. भैसदेही	4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगारी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	79.0	..	4. (1) गन्ना, धान, सोयाबीन अधिक, मूँगमोठ, उड़द कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	40.8				
3. बावई	21.0				
4. इटारसी	91.4				
5. सोहागपुर	54.0				
6. पिपरिया	78.4				
7. बनखेड़ी	77.0				
8. पचमढ़ी	97.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	4. (1) सोयाबीन. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	87.0		4. (1) तुअर अधिक. धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	56.2				
3. जबलपुर	72.6				
4. मझौली	34.2				
5. कुण्डम	88.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	59.0	..	4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	13.0				
3. बड़वारा	85.0				
4. विजयराधवगढ़	42.0				
5. बहोरीबंद	44.8				
6. ढीमरखेड़ा	85.0				
7. बरही	37.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3.	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..	2.	4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	129.8	2.	4. (1) मंकका, सन् तिल, धान, उड्ढ, तुअर कोदों-कुटकी, सोयाबीन. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	145.2				
3. नैनपुर	68.9				
4. मण्डला	95.8				
5. घुघरी	98.2				
6. नारायणगंज	101.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..	2.	4. (1) मंकका, धान, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड्ढ, रामतिल (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मंकका, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	24.6	2.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	48.0				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	56.0				
5. सोंसर	86.2				
6. पांढुर्णा	6.5				
7. चांद	10.7				
8. अमरवाड़ा	48.6				
9. चौरई	57.4				
10. बिछुआ	29.4				
11. हरई	32.7				
12. मोहखेड़ा	1.0				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	76.2	2.	4. (1) मंकका, तुअर, उड्ढ, मूँगफली, तिल अधिक. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, सन, गन्ना कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	4.0				
3. लखनादौन	48.3				
4. बरघाट	90.4				
5. कुरई	20.0				
6. घंसौर	68.0				
7. घनोरा	42.5				
8. छपारा	48.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	48.4	2.	4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	86.9				
3. बैहर	71.0				
4. वारासिवनी	99.4				
5. कटंगी	65.4				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला छतरपुर, शहडोल, बड़वानी, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.